(158)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(7)नविवि/3/2009पार्ट–II   जयपुर, दिनांक :- 4 OCT 2013

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम,
समस्त।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

विषय :– राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावर्ड समिति 11वीं बैठक दिनांक 01.10.2013 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से शुल्क लिये जाने के संबंध में नीति तैयार कर इसे भवन विनियमों में सम्मिलित किये जाने के आदेश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

उक्त आदेश भवन मानचित्र अनुमोदन के उन सभी प्रकरणों पर लागू होंगे, जिनमें नगरीय निकाय द्वारा जारी मांगपत्र की राशि जमा नहीं करायी गई है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 4.10.2013
(प्रकाश चन्द शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन, समस्त स्थानीय निकायों को उपरोक्तानुसार निर्देशित किये जाने हेतु।
5. आयुक्त, राजस्थान, आवासन मण्डल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर) 4.10.2013
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

(ii) सभी नगरीय निकायों के स्तर पर उक्त राशि के लिए एक डेडिकेटेड फण्ड तैयार किया जायेगा, जो कि सामान्य से अतिरिक्त अकाउन्ट में जमा रखा जावेगा व इस राशि का व्यय संबंधित नगरीय निकाय के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपकरण/फायर टेन्डर आदि क्रय किये जाने तथा फायर एक्सपर्टस के माध्यम से बहुमंजिले भवनों में लगाये गये अग्निशमन उपकरणों आदि के वार्षिक निरीक्षण/परीक्षण किये जाने के लिए किया जायेगा। इस संबंध में राज्य/स्थानीय स्तर पर फायर एक्सपर्ट का पैनल तैयार कर बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन सुविधाओं संबंधी प्रावधानों की भवन मानचित्र अनुमोदन, भवनों की पूर्णता पश्चात् अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं समय-समय पर अग्निशमन सुविधाओं की जांच व Mock Drill में स्थानीय निकायों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

(iii) बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन संबंधी नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

(iv) राशि के व्यय के संबंध में कार्य योजना तैयार करने हेतु संबंधित नगरीय निकाय स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

क. प्राधिकरणों के लिए -

सचिव, संबंधित प्राधिकरण	- अध्यक्ष
उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी	- सदस्य
स्थानीय निकाय में अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी	- सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता	- सदस्य सचिव

ख. न्यासों के लिए -

सचिव, संबंधित न्यास	- अध्यक्ष
उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी	- सदस्य
स्थानीय निकाय में अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी	- सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता	- सदस्य सचिव

ग. अन्य नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं के लिए -

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी संबंधित निकाय	- अध्यक्ष
उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी/ अन्य प्राधिकृत अधिकारी	- सदस्य
स्थानीय निकाय मे अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी	- सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता	- सदस्य सचिव

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।